

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./स्था.पद./2015/818 जयपुर,दिनांक: 23/02/17

:: आदेश ::

श्री शंकर लाल कलंत्री, पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा (A.P.O.) में किया जाता है। आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के दौरान श्री कलंत्री का मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर में किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. अति. मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना में श्री शंकर लाल कलंत्री को तत्काल पंचायती राज विभाग के कार्यमुक्त करते हुए पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री शंकर लाल कलंत्री, पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना में तत्काल पंचायती राज विभाग, जयपुर में उपस्थिति प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव